

जीवन वृत्ति की संभावना (Career Prospects)

सामान्य कैडर की पदोन्नति के लिए रेजीडेंसी अवधि (मुख्य सिपाही से निरीक्षक)

क्रम सं.	पद	रेजीडेंसी	पदोन्नति के लिए वास्तविक रूप से लिया गया समय और क्या छूट/ अधित्याग लिया गया या नहीं
1	सिपाही से मुख्य सिपाही	सिपाही के पद पर 8 वर्ष	12 वर्ष, कोई छूट नहीं
2	मुख्य सिपाही से सहा. उपनिरीक्षक	मुख्य सिपाही/ सामान्य के पद पर 5 वर्ष (जैसा भर्ती नियम में वर्णित है।)	मुख्य सिपाही (सा.) से सहा. उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति अभी की जानी है, चूंकि भर्ती नियमों को अधिसूचित कराने की प्रक्रिया जारी है।
3	सहा. उप निरीक्षक से उप निरीक्षक	सहा. उप निरीक्षक के पद पर 5 वर्ष (जैसा भर्ती नियम में वर्णित है।)	सहायक उपनिरीक्षक (सा.) से उप निरीक्षक (सा.) की पदोन्नति अभी की जानी है, चूंकि परिसंशोधित भर्ती नियमों को अधिसूचित कराने की प्रक्रिया जारी है।
4	उप निरीक्षक से निरीक्षक	5 वर्ष	4 वर्ष, 02 माह, 20 दिन (गृह मंत्रालय से 09 माह और 10 दिन के लिए छूट मांगी गई है।)